आखिरी जांच: 21 अक्टूबर 2026 · Health Department, Government of Manipur (Manipur State Illness Assistance Fund Society)

Manipur State Illness Assistance Fund (MSIAF)

मणिपुर राज्य बीमारी सहायता कोष गंभीर बीमारी वाले गरीब मरीजों को मणिपुर के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए एक बार की आर्थिक मदद देता है।

क्या मिल सकता है

गंभीर बीमारी जैसे हृदय, कैंसर, गुर्दे या हड्डी के रोग के इलाज के खर्च की एक बार की भरपाई वाली सहायता। रकम उसी अस्पताल को दी जाती है जहाँ इलाज चल रहा हो। आवेदन से पहले स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से मौजूदा सीमा पूछ लें।

किसके लिए है

मणिपुर के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के मरीज, जिन्हें सरकारी अस्पताल में किसी बड़ी बीमारी का इलाज कराना है।

मुख्य शर्तें

- मरीज मणिपुर का स्थायी निवासी हो और निवास का प्रमाण दे।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो, और इसका प्रमाणपत्र उप-मंडल अधिकारी या उससे ऊँचे पद के अधिकारी ने दिया हो।
- सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं हैं, लेकिन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी आय की शर्त पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं।
- इलाज JNIMS इम्फाल, RIMS इम्फाल या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में हो, और बीमारी मंजूर सूची में हो।

दस्तावेज़

- मूल प्रमाणपत्र A या B (खर्च का अनुमान प्रमाणपत्र)
- मूल आय या BPL प्रमाणपत्र, जिस पर पासपोर्ट साइज फोटो लगी हो
- तय प्रारूप में शपथपत्र
- निवास का प्रमाण जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या नाबालिग के लिए जन्म प्रमाणपत्र
- मरीज की दो पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें

1. तय MSIAF आवेदन फॉर्म भरें, जिसमें बीमारी, अस्पताल और ज़रूरी रकम लिखें।
2. चेकलिस्ट के अनुसार अनुमान प्रमाणपत्र, आय या BPL प्रमाणपत्र और शपथपत्र साथ लगाएँ।
3. आवेदन मणिपुर के स्वास्थ्य सेवा निदेशक को जमा करें।
4. जाँच समिति खर्च देखती है और प्रबंधन समिति अपनी मासिक बैठक में फैसला लेती है। मंजूर रकम अकाउंट पेयी चेक से दी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://manipur.gov.in/wp-content/uploads/2013/02/msiaf.pdf
आधिकारिक PDF: https://manipur.gov.in/wp-content/uploads/2013/02/msiaf.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/manipur/mn-state-illness-assistance-fund/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।